न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 13 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)

1. अम्बालाल पिता रामा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. किशनलाल पिता रामा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. गुलाबी पत्नी रामा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गहरीबाई पुत्री नगजी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. गोकल पुत्र डालु जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. जीतु पिता भूरा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. शम्भुलाल पिता नाथु जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. मोहनलाल पिता नाथु जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. नाथी देवी पत्नी स्वर्गीय नगजी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. बालु पिता भूरा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
11. भागुडी पत्नी शंकर जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
12. भोला पिता भूरा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
13. मुली बाई पुत्री नगजी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
14. माधु पिता भूरा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
15. रोशनलाल पिता रामा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
16. लेहरू पिता डालु जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
17. वरदी पिता रामा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
18. शंकरलाल पिता जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:27 IST
Reason: SelfAttested

19. सतु पिता नगजी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
20. हेमा पिता भुरा जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
21. हीरा पिता डालु जी, जाति भील, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जसराज पिता लालुराम जी, जाति तेली, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. तुलसीराम पिता लालुराम जी, जाति तेली, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नाथुलाल पिता लालुराम जी, जाति तेली, निवासी काबरी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेट दि.
25.01.2024 प्रकरण संख्या 48/2022

———/———

उपस्थित :– 1– श्री सुरेशसिंह रावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री डूंगरसिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 21–08–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काबरी में आराजी नंबर 871 रकबा 0.9300 हैक्टर स्थित है, जो प्रार्थीगण के हक, अधिकार व आधिपत्य की है, जिसमें आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 646 के उत्तरी पाली के सहारे आराजी दिशा से है, किन्तु उक्त रास्ता काफी सकरा होने से कृषि साधन लाने नंबर 873 के उत्तरी कोने से होते हुए आराजी नंबर 873 व 872 की पूर्वी ले जाने में काफी परेशानी आती है, जिसने 15 फिट चौड़ा किया जाना आवश्यक है। अतः आराजी नंबर 871 में

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:27 IST
Reason: SelfAttested

आने जाने हेतु आराजी नंबर 646, 873, 872 में विद्यमान रास्ते को चौडा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार आमेट से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 25–01–2024 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 21 द्वारा यह अपील दिनांक 21–05–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जाकनारी उन्हें नहीं थी। दिनांक 15–05–2024 को पटवारी हल्का के मौके पर आने से उक्त आदेश की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट व राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से अपीलान्टगण की अनुपस्थित में पर्चा मौका तैयार किया गया है, जिसकी अपीलान्टगण को तामिल नहीं करवायी गयी है। अपीलान्टगण के खातेदारी की आराजी नंबर 646 रकबा 0.2500 हैक्टर में से जो 15 फिट चौडा रास्ता छूटा होने का गलत इन्द्राज है। मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। न्यायालय आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया गया, किन्तु पैरवी पर उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:27 IST
Reason: SelfAttested

कर दी गयी, जो गलत है। क्योंकि यदि अधिवक्ता पैरवी से हटा है तो इसकी सूचना न्यायालय को अपीलान्टगण को देनी चाहिए था, जिससे वह अपना नया अधिवक्ता नियुक्त करते। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश दिया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 03–10–2023 में तहसीलदार आमेट ने स्पष्ट अंकित किया है कि ''प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नंबर 871 में जाने हेतु नये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आराजी नंबर 646 के उत्तरी दिशा से 125 मीटर लम्बाई 4 मीटर चौडाई अर्थात 0.0500 हैक्टर है। उक्त रास्ते से होकर प्रार्थी आराजी नंबर 648 नाला से होकर अपने खेत आराजी नंबर 871 में आते जाते हैं।'' विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो वहां धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर ही तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 25–01–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:27 IST
Reason: SelfAttested